

राजस्थान सरकार
(निर्वाचन विभाग)

क्रमांक: प.3(3)(3)रोल/निर्वा/SSR-2018/2017/ 6176

जयपुर, दिनांक 02.11.17

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषित : श्री एन0एन0बुटोलिया,
प्रमुख सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग,
नई दिल्ली।

विषय : अर्हता दिनांक 01.01.2018 के सन्दर्भ में मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में।

प्रसंग : भारत निर्वाचन आयोग का पत्र क्रमांक 23/LET/ECI/FUNC/ERD-ER/2016
दिनांक 25.10.2017 एवं दिनांक 27.10.2017, 30.10.2017 एवं 31.10.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग के प्रासंगिक पत्रों के द्वारा राज्य में अर्हता दिनांक 01.01.2018 के क्रम में मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 12 एवं 19 नवम्बर, 2017 अभियान की विशेष तिथि निर्धारित की गई है।

चूंकि अभियान की अवधि 15-30 नवम्बर, 2017 के मध्य बीएलओ घर-घर जाकर मोबाईल एप्लीकेशन के माध्यम से अथवा ऑफलाइन कई महत्वपूर्ण सूचनाएँ संकलित करेंगे तथा प्राप्त आवेदन पत्रों को सत्यापित करेंगे, इसके लिए उन्हें बार-बार घर-घर न जाने पड़े इसे दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 01 नवम्बर, 2017 को आयोजित वर्कशॉप में हुई चर्चानुसार राज्य के परिपेक्ष्य में विशेष अभियान की तिथि 19 नवम्बर, 2017 के स्थान पर 05 नवम्बर, 2017 करने हेतु आयोग की अनुमति से अवगत कराने का श्रम करें ताकि ~~इस~~ द्वितीय अभियान की तिथि 12 नवम्बर, 2017 के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का सत्यापन एक साथ ही बीएलओ विशेष अभियान की अवधि में कर सकें।

कृपया आयोग से अनुमति यथाशीघ्र भिजवाने का श्रम करें।

भवदीया,


(डॉ० रेखा गुप्ता)


अति० मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

जयपुर, दिनांक 2.11.17

क्रमांक: प.3(3)(3)रोल/निर्वा/SSR-2018/2017/ 6176

प्रतिलिपि :-

श्री पी० के० शर्मा, सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।


उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर।